

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3918  
18.08.2025 को उत्तर के लिए

**मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा**

**3918. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर बहराइच लोक सभा क्षेत्र के कर्तनिया घाट क्षेत्र में विगत पांच वर्षों के दौरान मानव-पशु संघर्षों की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं तथा इन संघर्षों के कारण वर्ष-वार कितने लोगों की जान गई;
- (ख) मानव-पशु संघर्षों के संबंध में कितने मुआवजे के दावे दायर किए गए और उनका सफलतापूर्वक निपटारा किया गया;
- (ग) क्या सरकार मानव-पशु संघर्षों के पीड़ितों को विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का उन मामलों में पीड़ितों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का विचार है, जहां वन विभाग द्वारा ऐसी घटनाएं दर्ज नहीं की गई हैं, ताकि ऐसी घटनाओं को आसानी से दर्ज किया जा सके?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में वन्यजीवों के साथ संघर्ष के कारण हुई मानव मौतों और उनके घायल होने का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	वर्ष	मानव मौतों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	कुल
1	2020-21	07	50	57
2	2021-22	09	51	60
3	2022-23	17	58	75
4	2023-24	06	58	64
5	2024-25	13	57	70

वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है। मानव-पशु संघर्षों के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवज़े के दावों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

तथापि, यह मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें मवेशियों को ले जाने, फसलों की क्षति, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए उत्पात के लिए मुआवज़ा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने के मामले में अनुग्रह-राहत राशि में वृद्धि की है। इसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति का स्वरूप	अनुग्रह-राहत राशि
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपए
ii.	गंभीर रूप से घायल	2.00 लाख रुपए
iii.	मामूली रूप से घायल	प्रति व्यक्ति 25,000/- रुपये तक उपचार की लागत
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, अपने द्वारा निर्धारित लागत संबंधी मानदंडों के अनुरूप निर्णय ले सकती हैं।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण घायल होने सहित पशुधन एवं फसलों की हानि और मानव मृत्यु होने पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुग्रह-राहत राशि का भुगतान करते हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

\*\*\*\*\*